भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †745

दिनांक 04.02.2026 को उत्तर देने के लिए

आयात में कमी लाने हेतु भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखलाएं

†745. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार स्पष्ट रूप से यह आश्वासन देती है कि भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखलाएं अनुचित विदेशी निर्भरता के बिना लचीली, विविध और देश की इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छ ऊर्जा और विनिर्माण संबंधी महत्त्वाकांक्षाओं को समर्थन देने में सक्षम होंगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए दुर्लभ मृदा तत्वों के रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, घरेलू या विदेशी कंपनियों द्वारा इनके अन्यत्र उपयोग, हेराफेरी और जमाखोरी को रोकने के लिए कोई सुरक्षा उपाय मौजूद हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू खनन, शोधन और विनिर्माण को एकीकृत करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय-सीमा और निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने वैश्विक मूल्य अस्थिरता या भू-राजनीतिक तनावों के महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई जोखिम संबंधी विश्लेषण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या आकस्मिक उपाय मौजूद हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने और महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दिनांक 29.01.2025 को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) स्थापित करने हेतु मंजूरी दी है। एनसीएमएम का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण खनिजों की दीर्घकालिक स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करना और राज्यों और उद्योग के साथ समन्वय में, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छ ऊर्जा और विनिर्माण जैसे कार्यनीतिक क्षेत्रों के लिए आयात निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से, खनिज गवेषण और खनन से लेकर सज्जीकरण, प्रसंस्करण और एंड ऑफ लाइफ उत्पादों से पुनर्प्राप्ति तक सभी चरणों को शामिल करते हुए भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना है।

इसके अतिरिक्त, एनसीएमएम आपूर्ति श्रृंखला में लचीलेपन को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम रूपरेखा का प्रावधान करता है, जिसमें विदेशी कंपनियों द्वारा आपूर्ति व्यवधानों से बचाव और घरेलू उपयोग के लिए खनिज आपूर्ति में सहायता के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और निजी कंपनियों के बीच एक संयुक्त पहल शामिल है।

इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण खनिजों की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सरकार ने एक व्यापक कार्यनीति अपनाई है और कई पहलें की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण को तीव्र किया है। जीएसआई ने वर्ष 2024-25 में 195 महत्वपूर्ण खनिज गवेषण परियोजनाएं कार्यान्वित कीं तथा वर्ष 2025-26 में देशभर में 230 परियोजनाएं शुरू कीं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास (एनएमईडीटी) ने वर्ष 2024-25 के दौरान महत्वपूर्ण खनिज गवेषण के लिए 62 परियोजनाएं और वर्ष 2025-26 के दौरान 60 परियोजनाएं अधिसूचित निजी गवेषण एजेंसियों (एनपीईए)/अधिसूचित गवेषण एजेंसियों (एनईए) को स्वीकृत कीं।
ii. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम), 1957 में वर्ष 2025 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत एनएमईडीटी के दायरे को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज गवेषण और खनन में सहायता प्रदान करने के लिए विस्तारित किया गया है।
iii. वर्ष 2023 में एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन के पश्चात्, केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के 46 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इसके अतिरिक्त, गवेषण अनुज्ञप्ति व्यवस्था के तहत 7 ब्लॉकों की नीलामी की गई है, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक हैं।

iv. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन योजना को अनुमोदित किया है। इस योजना के दिशानिर्देश जारी किए गए और दिनांक 02.10.2025 को योजना का शुभारंभ किया गया।

v. ओवरबर्डन/टेलिंग्स/फ्लाई ऐश/रेड मड आदि से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति के लिए पायलट परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु दिनांक 14.11.2025 को दिशानिर्देश जारी किए गए।

vi. खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) ने अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत के एक सरकारी उद्यम कैमयेन के साथ अर्जेंटीना में 15703 हेक्टेयर के क्षेत्र में पांच लिथियम ब्राइन ब्लॉकों के गवेषण और खनन के लिए एक गवेषण और विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत में आरईई के प्रमुख अयस्क मोनाज़ाइट के डायवर्जन, हेरफेर और जमाखोरी को रोकने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा उपाय किए गए हैं:

i) खान मंत्रालय ने टेरी या प्लेसर निक्षेपों में होने वाले बीएसएम के लिए मोनाजाइट के सीमा मान में "परमाणु खनिज रियायत नियम 2016 के तहत कुल भारी खनिजों (टीएचएम) में 0.00%" के रूप में दिनांक 20.02.2019 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 134(अ) के द्वारा संशोधन किया है, इस प्रकार बीच सैंड मिनरल्स (बीएसएम) में निर्धारित पदार्थ मोनाजाइट के खनन पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण सुनिश्चित किया गया है।

ii) इसके अतिरिक्त, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विदेश व्यापार महानिदेशालय की दिनांक 21.08.2018 की अधिसूचना सं. 26/2015-2020 के तहत बीएसएम पर निर्यात नीति अधिसूचित की है, जिसके तहत बीएसएम के निर्यात को राज्य व्यापार उद्यम के तहत निर्धारित किया गया है।

एनसीएमएम निम्नलिखित आउटपुट/ लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करता है:

प्रमुख शीर्ष	कुल (वित्त वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक)
घरेलू महत्वपूर्ण खनिज गवेषण परियोजनाएं	1200
विदेशी महत्वपूर्ण खनिज खानें	50

पुनर्चक्रण के लिए प्रोत्साहन योजना - कुल पुनर्चक्रित सामग्री (केटी)	400
महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला में पेटेंट	1000
कौशल विकास	10000
खनिज प्रसंस्करण पार्क	4
उत्कृष्टता केंद्र	3
खनिज भंडार (संचयी)	5

जैसे कि एनसीएमएम में परिकल्पना की गई है, इस रूपरेखा में आपूर्ति जोखिम और आर्थिक महत्व के आधार पर उसके महत्व के आकलन के आवधिक परिशोधन, भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सूची का अद्यतन करने और हितधारकों के परामर्श से संबंधित जोखिमों के आकलन के प्रावधान शामिल हैं। मिशन में औद्योगिक और प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं के साथ-साथ जोखिम कम करने के लिए मांग आकलन भी किया गया है।

*****